

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अनुपालन में
प्रशासनिक अधिकारी (वृत्तीय संवर्ग) के द्वारा दुर्गम से सुगम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु
दिये गये विकल्प

